भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3308

जिसका उत्तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है

**लंबित कोर्ट संबंधी मामले**

**3308. श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की न्यायालय-वार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) इनमें से स्थगन आदेश के कारण एक और दो अथवा ज्यादा वर्षों से लंबित पड़े हुए मामलों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ; और

(ग) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में किसी मामले में निर्णय हेतु होने वाली बैठकों की पृथक रूप से औसत संख्या और किसी मामले में अगली सुनवाई हेतु औसत दिनों की न्यायालय-वार संख्या कितनी-कितनी है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख़) :** उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों पर आंकड़ा क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा रखा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 55,459 है। 19 .03.2018 को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेब पोर्टल पर जानकारी के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में 42.67 लाख मामले लंबित थे । ब्यौरे **उपाबंध -1** पर हैं । **उपाबंध -2** पर ब्यौरे के अनुसार 19.03.2018 को देश के (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर) विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2.66 करोड़ मामले लंबित थे । एक और दो अथवा अधिक वर्षों के लिए रोक आदेश के कारण लंबित मामलों की संख्या से संबंधित जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

**(ग) :** सरकार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी मामले के निर्णय के लिए बैठकों की औसत संख्या या किसी मामले में अगली सुनवाई के लिए न्यायालय -वार औसत दिनों की संख्या से संबंधित जानकारी के बारे में आंकड़ा नहीं रखती है ।

**उपाबंध-1**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं 3308 जिसका उत्तर तारीख 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**1 9** **.03.2018 को उच्च न्यायालयों** **में** **लंबित** **मामले**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **उच्च न्यायालय का नाम** | **सिविल** | **दांडिक** | **याचिकाएं** | **1 9 .3.2018 को लंबित मामले** |
| 1 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 153,720 | 301,946 | 250,983 | 706,649 |
| 2 | कलकत्ता उच्च न्यायालय | 106,717 | 43,284 | 85203 | 235,204 |
| 3 | गुवहाटी उच्च न्यायालय | 12,499 | 6971 | 15549 | 35019 |
| 4 | बॉम्बे के उच्च न्यायालय | 302,656 | 50,704 | 110,714 | 464,074 |
| 5 | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | 37049 | 23,977 | 0 | 61,026 |
| 6 | दिल्ली उच्च न्यायालय | 29,925 | 18,758 | 20,983 | 69,666 |
| 7 | गुजरात उच्च न्यायालय | 43,069 | 32,527 | 34113 | 109,709 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय | 24,410 | 6042 | 5376 | 35,828 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय | 76,314 | 8273 | 0 | 84,587 |
| 10 | झारखंड के उच्च न्यायालय | 46,314 | 43,685 | 0 | 89,999 |
| 1 1 | कर्नाटक उच्च न्यायालय | 118,048 | 30840 | 68,171 | 217,059 |
| 12 | केरल उच्च न्यायालय | 79,655 | 37,883 | 65,409 | 182,947 |
| 13 | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | 105,276 | 118,143 | 88,846 | 312,265 |
| 14 | मणिपुर उच्च न्यायालय | 15,371 | 1544 | 0 | 16915 |
| 15 | मेघालय उच्च न्यायालय | 306 | 42 | 615 | 963 |
| 16 | पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय | 197,805 | 119,115 | 72628 | 389,548 |
| 17 | राजस्थान उच्च न्यायालय | 84,793 | 72,319 | 103,411 | 260,523 |
| 18 | सिक्किम उच्च न्यायालय | 55 | 60 | 103 | 218 |
| 19 | त्रिपुरा उच्च न्यायालय | 1025 | 457 | 1505 | 2987 |
| 20 | उत्तराखंड उच्च न्यायालय | 10181 | 10660 | 15,634 | 36475 |
| 21 | मद्रास उच्च न्यायालय | 128,196 | 42105 | 144,044 | 314,345 |
| 22 | उड़ीसा उच्च न्यायालय | 43,265 | 43,876 | 83,826 | 170,967 |
| 23 | पटना उच्च न्यायालय | 29,610 | 55,203 | 61,009 | 145,822 |
| 24 | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | 107,804 | 46,325 | 170,410 | 324,539 |
| **कुल लंबित मामले** | | **1754063** | **1114739** | **1398532** | **4267334** |

**उपाबंध-2**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं 3308 जिसका उत्तर तारीख 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**1 9 .03.2018 को** **जिला और अधीनस्थ न्यायालय** **में** **लंबित** **मामले**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य /** **संघ राज्य क्षेत्रों** **का** **नाम** | **सिविल** | **दांडिक** | **1 9 .3.2018 को लंबित मामले** |
| 1 | अंदमान और निकोबार | 3296 | 7889 | 11185 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 285,976 | 220,554 | 506,530 |
| 3 | असम | 57476 | 181,289 | 238,765 |
| 4 | बिहार | 253,761 | 1423724 | 1677485 |
| 5 | चंडीगढ़ | 16,512 | 23,848 | 40360 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 57,848 | 212,123 | 269,971 |
| 7 | दिल्ली | 181,826 | 462,373 | 644,199 |
| 8 | दमण और दीव | 964 | 840 | 1804 |
| 9 | सिलवासा स्थित दादरा और नागर हवेली | 1435 | 2065 | 3500 |
| 10 | गोवा | 21,556 | 19,288 | 40,844 |
| 1 1 | गुजरात | 519,720 | 1078720 | 1598440 |
| 12 | हरियाणा | 261,433 | 391,936 | 653,369 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 104,092 | 111,282 | 215,374 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 56,247 | 61,498 | 117,745 |
| 15 | झारखंड | 55,581 | 277,165 | 332,746 |
| 16 | कर्नाटक | 656,510 | 741,096 | 1397606 |
| 17 | केरल | 358,747 | 840,264 | 1199011 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 305,871 | 1045241 | 1351112 |
| 19 | महाराष्ट्र | 1134507 | 2246201 | 3380708 |
| 20 | मणिपुर | 5563 | 4447 | 10010 |
| 21 | मेघालय | 2088 | 4795 | 6883 |
| 22 | मिजोरम | 1394 | 2070 | 3464 |
| 23 | ओडिशा | 244,647 | 792,913 | 1037560 |
| 24 | पंजाब | 247,430 | 338,463 | 585,893 |
| 25 | राजस्थान | 399,665 | 1048486 | 1448151 |
| 26 | सिक्किम | 591 | 900 | 1491 |
| 27 | तमिलनाडु | 578,575 | 429,598 | 1008173 |
| 28 | तेलंगाना | 202,412 | 231,362 | 433,774 |
| 29 | त्रिपुरा | 8078 | 16651 | 24,729 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 1561998 | 4805606 | 6367604 |
| 31 | उत्तराखंड | 32,888 | 181,191 | 214,079 |
| 32 | पश्चिमी बंगाल | 477,513 | 1330479 | 1807992 |
| **कुल लंबित मामले** | | **8096200** | **18534357** | **26630557** |

नोट: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में एनजेडीजी पर लंबित मामलों का आंकड़ाः उपलब्ध नहीं है